# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1917(श०)

(सं०पटना 263) पटना, शनिवार, 22 जुलाई, 1995

विधि विभाग

---

अधिसूचनाएं

22 जुलाई,1995

सं० एल०जी-1-03।95 लेज:-230---बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित अधिनियम,जिसपर राज्यपाल 19 जुलाई,1995 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

[वि० स० वि० 15/95]

# बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, अधिनियम, 1995

राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(1) यह अधिनियम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 कहा जा सकेगा ।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. परिभाषाएं ।—इस अधिनियम में जबतक अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995,

(ख) "विभाग" से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट विभाग,

(ग) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, अभियांत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल है समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम,

(घ) "विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा संपोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान,

(ङ) "पर्षद्" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्,

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का अध्यक्ष,

(ह) "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त परीक्षा नियंत्रक,

(ज) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई गुणागुण सूची,

(झ) "प्रवेश" से अभिप्रेत है, गुणागुण सूची से योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश।

3. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश।—(1) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश अथवा किसी अधिनियम, नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि, विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा समान प्रकृति के अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

(2) राज्य एवं राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में प्रवेश के लिए जहां राज्य सरकार से मनोनयन की अपेक्षा हो, ऐसा मनोनयन संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

4. पर्षद्।—बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, जिसकी एक सामान्य मुहर होगी, और जिसे चल और अंचल सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा तथा वह अपने नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

5. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन।—संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार | .. अध्यक्ष। |
| (ii) | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित आयुक्त एवं सचिव।सचिव स्तर के अधिकतम दो पदाधिकारी .. .. | सदस्य |

(*iii*) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अधिकतम दो राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष .. .. सदस्य

(*iv*) चिकित्सा महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य .. सदस्य ।

(*v*) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य .. .. सदस्य ।

(*vi*) कृषि, मत्स्य, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, कृषि अभियंत्रण एवं वानिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा संजय गांधी गव्य प्राद्योगिकी संस्थान के निदेशक में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य।निदेशक .. .. सदस्य।

(*vii*) निदेशक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग .. सदस्य-सचिव ।

6. पर्षद् की शक्तियां एवं कर्त्तव्य ।—पर्षद् की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्त्तव्य होंगे :—

(*i*) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन कराना,

(*ii*) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक निर्णय लेना,

(*iii*) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विनियम बनाना,

(*iv*) पर्षद् में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्त करना,

(*v*) पर्षद् की निधि, लेखा और अंकेक्षण से संबंधित सभी कार्य करना,

(*vi*) पाठ्यक्रम संबंधी विवरण पुस्तिका एवं आवेदन-पत्रों के विक्रय मूल्य तथा परीक्षा शुल्क के निर्धारण संबंधी कार्य,

(*vii*) परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम विहित करना,

(*viii*) उत्तर पुस्तिकाओं के कूटबद्ध करने (कोडिंग) एवं कूट खोलने (डिकोडिंग) संबंधी कार्य,

(*ix*) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए परीक्षा नियंत्रक को मार्गदर्शन देना एवं उनके कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।

7. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ।—(1) राज्य सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान अथवा उक्त सेवा के ऊपर के वेतनमान के पदाधिकारी की नियुक्ति संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा नियंत्रक के रूप में कर सकेगी ।

(2) परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल सामान्यतः कम-से-कम एक वर्ष का होगा ।

8. परीक्षा नियंत्रक के कार्य ।—परीक्षा नियंत्रक के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) प्रश्न पत्रों का चयन एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण ;
(ख) परीक्षा केन्द्रों का चयन ;
(ग) परीक्षा का स्वच्छ संचालन ;
(घ) प्रश्न पत्रों।उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केन्द्रों पर भेजना एवं वापस लाना, कूटबद्ध (कोडिंग) करना एवं कूट खोलना (डिकोडिंग);
(ङ) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ;
(च) परीक्षाफल की घोषणा ;
(छ) प्रवेश हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों को अनुशंसा भेजना ;
(ज) उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना ;
(झ) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (झ) एवं (ज) में उल्लिखित कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक व्यय की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्य ।

9. स्थानों की सूचना ।—परीक्षा नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों से विभिन्न संकाय एवं विषय में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों की सूचना प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जायेगी ।

10. गुणागुण सूची ।—परीक्षा नियंत्रक राज्य में लागू आरक्षण नियमों का अनुसरण करते हुए विहित रीति से अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची तैयार करेगा ।

11. प्रवेश ।—व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विभिन्न संकायों एवं विषयों में प्रवेश, योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर गुणागुण सूची से किया जायेगा ।

12. अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा ।—(1) गुणागुण सूची के अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा विहित रीति से पर्षद् करा सकेगा अथवा ऐसे अभ्यर्थियों से प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा, जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु अनुशंसा की जा सकेगी ।

13. निधि और लेखा ।— (1) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी :—

(*i*) पाठ्यक्रम, आवेदन-पत्र एवं अन्य सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि ;

(*ii*) विभिन्न शुल्कों से प्राप्त राशि ;

(*iii*) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त अनुदान ;

(*iv*) अन्य प्राप्तियां ।

(2) पर्षद् अपनी निधि किसी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक में रखेगा ।

(3) पर्षद् राज्य सरकार को ऐसे विवरण, लेखा, प्रतिवेदन और अन्य ब्योरे उपलब्ध करायेगा जिनकी राज्य सरकार अपेक्षा करे ।

(4) पर्षद् अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिये केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा कानूनी निकाय से अनुदान, विन्यास और संदान स्वीकार कर सकेगा ।

(5) राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा पूर्व संचालित परीक्षाओं की अवशेष निधि अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् को हस्तान्तरित हो जायेगी ।

14. लेखा का अंकेक्षण ।— (1) पर्षद् प्रति वर्ष अपनी निधि आय-व्यय एवं लेखा का महालेखाकार, बिहार या राज्य सरकार के अंकेक्षकों या किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण करायेगा ।

(2) अंकेक्षण के खर्च का भुगतान पर्षद् अपनी निधि से करेगा ।

(3) राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, पर्षद् की निधि, आय-व्यय एवं लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार अथवा अन्य अभिकरण से करा सकेगी ।

15. लेखा पदाधिकारी ।— (1) पर्षद् का एक लेखा पदाधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति पर्षद् द्वारा राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से की जायेगी ।

(2) लेखा पदाधिकारी पर्षद् का बजट तैयार करने तथा लेखा के संधारण हेतु उत्तरदायी होगा ।

(3) लेखा पदाधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत सभी राशि का भुगतान करेगा ।

16. उत्तर पुस्तिका का सुरक्षित रखा जाना ।—संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि परीक्षा से संबद्ध कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें वाद के निष्पादन तक सुरक्षित रखी जायेंगी ।

17. शक्ति का प्रत्यायोजन ।—पर्षद् इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई शक्ति पर्षद् के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार को ऐसे निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।

18. नियम बनाने की शक्ति ।—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये शासकीय गजट में अधिसूचना जारी कर नियमावली बना सकेगी ।

19. कठिनाइयां दूर करना ।—इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।